न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/510

1. सिद्धिक शाह आत्मज श्री चांद शाह ।
2. सलाम शाह आत्मज श्री चांद शाह ।
3. सत्तार शाह आत्मज श्री चांद शाह ।
4. हमीद शाह आत्मज श्री चांद शाह जाति मुसलमान निवासीगण भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा ।
2. पप्पू पुत्र बाबू लाल जी जाति ब्राह्मण ।
3. नन्दकिशोर पुत्र लटूर लाल जी जाति मेरोठा
4. सुरेश आत्मज श्री रामगोपाल जी जाति मीणा निवासीगण भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. अजीम शाह आत्मज सुबराती ।
6. शमशेर आत्मज श्री सुबराती जाति मुसलमान निवासीगण भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहम्म युनुस, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सलीमखॉ, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 1 से 4 एवं रेस्पोडेन्ट कम 5 एवं 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा की बाद सेटलमेंट कुल 09 किता की 10.52 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जो कि दरगाह चिराग बत्ती के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि में दरगाह चिराग बत्ती भौरा के साथ बतौर व्यवस्थापक वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही उक्त भूमि को रहन, बेचान करे और

वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण क्रम 1 से 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट व उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति में ही बिना रिकॉर्ड का पूर्ण अवलोकन किये वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में तनकीयात कायम नहीं की तथा बिना तनकीयात के ही वाद शहादत में ले लिया गया उसके बाद कई पेशियॉ बदलती रही । अपीलान्ट जब भी साक्ष्य लेकर गया कभी पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं रहे और कभी वकीलों की हडताल रहीं । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस नामान्तरकरण संख्या 327 को अपने निर्णय का आधार बनाया है वह केवल आराजी खसरा नम्बर 17, 19 व 20 गलत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण सडक परिवहन के नाम दर्ज हो गई थी, उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 10.05.2007 से वापस बदस्तूर दरगाह चिराग बत्ती के नाम दर्ज कर पूर्ण सही जमाबन्दी में अंकन हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य नहीं ली है और सीधे ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त किया था । वकील साहब ने अपीलान्ट को प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनकी ओर से अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनरांक 21.09.2016 को अपने वकील साहब से जाकर मिले तब हुई । तत्पश्चात् उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम खातेदार माफी चिराग बत्ती दरगाह भौरा के साथ बतौर व्यवस्थापक अंकित किया जावे । अधीनस्थ न्यायाल ने वकीलों की हडताल के दौरान वादीगण अपीलान्ट व अभिभाषक अनुपस्थिति में ही उक्त आराजी को माफी चिराग बत्ती के नाम होना मानने के उपरान्त भी मात्र यह कहते हुए कि प्रकरण में वर्तमान

इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 327 के माध्यम से बताया है जिसके सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं है तथा वाद क्लीन हैण्ड नहीं होना माकर खारिज कर दिया जबकि वाद के साथ पूर्व जमाबन्दी व सेटलमेंट की जमाबन्दी पत्रावली में शामिल थी जिसको नजरअन्दाज करके निर्णय पारित किया गया है । निर्णय दिनांक 16.07.2016 को पारित किया गया हे तथा डिक्री उसके पूर्व 10.07.2016 की बनाकर दी गई है । अपीलान्ट वादीगण की अनुपस्थिति में बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये निर्णय पारित किया गया है । तनकीयात कायम नहीं की गई तथा बिना तनकीयात के ही वाद शहादत में ले लिया गया उसके बाद कई पेशियॉ पडी । वकीलों की हडताल के दौरान वादी एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी दरगाह चिराग बत्ती भौरा दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 327 का हलावा नहीं दिया गया । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और आगामी तारीख पेशी 16.07.2015 नियत की गई थी । दिनांक 16.07.2015 को पक्षकारों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन दावा वादी खारिज किया गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी दरगाह चिराग बत्ती भौरा के नाम से दर्ज है । नकल खतौनी बन्दोबस्त भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2013 से 2032 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी माफी चिराग बत्ती दरगाह ग्राम मु0 घीसीं जोजे गुलाब शाह कौम फकीर मुसलमान और कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2026 से 2029 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी रिज्यूम खाता सरकार उपकृषक जुम्मी खातून पुत्रियॉ गुलाम शाह दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2043 से 2062 के अनुसार वादग्रस्त आराजी दरगाह चिराग बत्ती भौंरा व्यवस्थापक जुम्मी खातून पुत्रियॉ गुलाब शाह फकीर मुसलमान दर्ज है ।

12. अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 327 को अपना निर्णय का आधार बनाया है वह केवल आराजी खसरा नम्बर 17, 19 व 20 गलती से भारतीय राष्ट्रीय मार्ग अधिकरण सडक परिवहन के नाम दर्ज हो गई थी, उक्त

त्रुटि को दुरूस्त कर नामान्तरकरण संख्या 327 दिनांक 10.05.2007 से वापस बदस्तूर दरगाह चिराग बत्ती के नाम दर्ज कर जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 में अंकन किया हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना वादी की साक्ष्य लिये बिना दस्तावेजात को प्रदर्श कराये वादीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 16.07.2015 को निर्णय पारित किया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट वादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादी अपीलान्ट को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पलाना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा